संख्या- 25 /2016/777/30-3-16-10बी/2013-1

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ ख़ाँ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 28 मार्च, 2016

विषय- प्रदेश के पूर्व निर्मित सम्भागीय परिवहन कार्यालय-कानपुर, आगरा व मेरठ में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये हाल के निर्माण हेतु प्रथम किस्त की अवशेष/पुनरीक्षित लागत की अवशेष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-675ए/2016-210ए/2015, दिनॉक 11-03-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्भागीय परिवहन कार्यालय-कानपुर, आगरा व मेरठ में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये हाल के निर्माण हेतु प्रथम किस्त की अवशेष/पुनरीक्षित लागत की अवशेष धनराशि के लिये संलग्न विवरण के अनुसार कुल रू0 97.33 लाख (रू0 सत्तानवे लाख तैंतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(4) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष को होगा।

(5) परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर लिया जायेगा और इसका उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा और इस हेतु कोई पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(6) पूर्व निर्मित सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये हाल के निर्माण के मानकीकरण एवं लागत सम्बन्धी शासनादेश संख्या-2011/30-3-13-10बी/2013टी0सी0, दिनॉक 13-09-2013 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्ष "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-सम्भागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(मुहम्मद अख़लाक़ ख़ाँ)
विशेष सचिव।

संख्या- 25/2016/777(1)/30-3-2016, तददिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कानपुर, आगरा व मेरठ द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था-उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0।
10- गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

(मुहम्मद अख़लाक़ ख़ाँ)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संभागीय परिवहन कार्यालय, कानपुर व आगरा में निर्माणधीन सारथी हॉल के पुनरीक्षित आगणन तथा संभागीय परिवहन कार्यालय, मेरठ में सारथी हॉल के निर्माण हेतु जारी की गयी द्वितीय किस्त की अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-25/2016/777/ 30-3-16-10बी/2013-1, दिनॉक 28 मार्च, 2016 का सलंग्नक।

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	शासनादेश संख्या व दिनॉक	अनुमोदित धनराशि	प्रथम किस्त की धनराशि	द्वितीय किस्त की धनराशि	पुनरीक्षित आगणन	अन्तर की धनराशि	अनुमोदित धनराशि	अन्तर की धनराशि	स्वीकृत धनराशि	अवशेष धनराशि जिसकी वित्तीय स्वीकृति जारी की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	संभागीय परिवहन कार्यालय, कानपुर	19/70/30-3-14-10बी/13टीसी, दिनॉक 20-02-2014 60/2499/30-3-14-10बी/2013टीसी, दिनॉक 09-09-2014 14/2016/705/30-3-16-10बी/2013-1 दिनॉक 11-03-2016	154.19	77.095	77.095	191.91	37.72	188.69	34.50	25.00	9.50
2	संभागीय परिवहन कार्यालय, आगरा	19/70/30-3-14-10बी/13टीसी, दिनॉक 20-02-2014 32/679/30-3-15-10बी/2013-1 दिनॉक 25-03-2015 13/2016/625/30-3-16-10बी/2013-1 दिनॉक 11-03-2016	159.45	79.725	79.725	214.78	55.33	214.78	55.33	25.00	30.33
3	संभागीय परिवहन कार्यालय, मेरठ	81/2676/30-3-14-10बी/2013-1 दिनॉक 13-11-2014 04/2016/2932/30-3-15-10बी/2013-1, दिनॉक 14-01-2016	165.00	82.50	25.00	00	00	00	00	00	57.50
		योग -									97.33

(मुहम्मद अख़लाक़ ख़ॉ)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।